ऑन लाईन नं.RCMS2020/00011

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 05/2020

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री राजकुमार गर्ग —नमूना विकेता एवं मालिक—
   मै0 जयभारत किराना स्टोर (क्लासिक ग्रोसरी मार्ट), पुलिस थाना रोड़, अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी :- वार्ड नम्बर 23, अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 26(2)(5)/58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

दिनांक : 06.06.2022

निर्णय

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.02.2019 को दोपहर बाद 5.00 बजे श्री राकेश सचदेवा, लेब तकनीषियन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ वास्ते चैकिंग जयभारत किराना स्टोर (क्लासिक ग्रोसरी मार्ट), पुलिस थाना रोड़, अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहां पर प्रमोद कुमार पुत्र श्री राजकुमार गर्ग निवासी वार्ड नम्बर 23, अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। उपस्थित को मैंने अपना परिचय देकर उक्त दुकान का निरीक्षण किया तो दुकान में रखी 20 किलोग्राम क्षमता की एक स्टील की टंकी में लगभग 20 किलोग्राम **Dhania Powder** खुला (**Loose**) आमजन को विक्रय हेतु रखा था। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जांच संख्या **K-953** के नमूनीकरण के लिए 2.00 किग्रा **Dhania Powder** खुला (**Loose**) खरीदा जिसकी कीमत 240/-रू0 (अखरे रूपये दो सौ चालीस मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विकेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री राकेश सचदेवा लेब तकनीषियन् एवं श्री केलाश पारीक के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा के ने भी हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर-5 की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 05 पर **Dhania Powder** खुला (**Loose**) विकेता श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री राजकुमार गर्ग एवं गवाहान ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Dhania Powder** खुला (**Loose**) बराबर–बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक की बोतलों में भरकर उनके ढक्कनों को कस कर बंद किया एवं उन पर टेप चिपकाई। इसके बाद इन चारों नमूना भागों पर लेवल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **K-953** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक **K-953** को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। इस समस्त की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता एवं गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलवन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील वन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/381/एक्ट/2019/362 दिनांक 01.03.2019 **नमूना K-953 Dhania Powder** खुला (**Loose**) मानक **स्तर FSS (Prohibition and Restriction on Sale) Regulation 2011** के **Regulation No-2.3.14 (15)** का **Contravenes** पाया गया है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र श्री राजकुमार गर्ग द्वारा अमानक स्तर **Dhania Powder** खुला (**Loose**) धारा 26(2)(5)/58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 05.02.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलव किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाव में कथन किया है कि प्रार्थी वार्ड नम्बर 34/23 अग्रवाल मोहल्ला अनुपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर का रहनेवाला है। प्रार्थी मैसर्स जय भारत किराना स्टोर (क्लासिक ग्रोसरी मार्ट) दुकान पुलिस थाना रोड़ अनूपगढ का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 777/2020 दिनांक 17.05.2020 का दिया है कि आपकी दुकान में धनिया पाउडर की जांच की गई तो धनिया पाउडर (**Loose**) पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त धनिया पाउडर में सधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्ग स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Dhania Powder** खुला (**Loose**) का सैम्पल **K-953** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/381/ एक्ट/2019/362 दिनांक 01.03.2019 द्वारा **स्तर FSS (Prohibition and Restriction on Sale) Regulation 2011** के **Regulation No-2.3.14 (15)** का **Contravenes** पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप ध 26(2)(5)/58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वार्ड नम्बर 34/23 अग्रवाल मोहल्ला अनुपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर का रहनेवाला है। प्रार्थी मैसर्स जय भारत किराना स्टोर (क्लासिक ग्रोसरी मार्ट) दुकान पुलिस थाना रोड़ अनूपगढ का मालिका है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 777/2020 दिनांक 17.05.2020 का दिया है कि आपकी दुकान में धनिया पाउडर की जांच की गई तो धनिया पाउडर (**Loose**) पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त धनिया पाउडर में सधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 01.03.2019 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की घारा 26(2)(5)/58 का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 58 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **Dhania Powder** खुला (**Loose**) विक्रेता एफएसएसए –2006 की धारा 31(1) की श्रैणी में आता है। अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र श्री राजकुमार गर्ग –नमूना विक्रेता एवं मालिक –पर **FSS (Prohibition and Restriction on Sale) Regulation 2011** के **Regulation No-2.3.14 (15)** का **Contravenes** के तहत **Dhania Powder** खुला (**Loose**) का विक्रय करने पर धारा 26(2)(2)/51 एवं 26(2)(5)/58 एवं धारा 31(1) के तहत 5,000/– (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Dhania Powder** खुला (**Loose**) का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए नियमानुसार निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Dhania Powder** खुला (**Loose**) के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)